

10-1-19

पत्रावली पेश हुई। पत्रकारान वकील उपर्युक्त
पत्रावली का अवलोकन किया गया जो दिनांक
4-7-18 को जारी अज्ञेय की पालना आज दिनांक
लंक भी नहीं की है, इससे साधर है कि शार्पिंग
अपने शार्पिंग को अज्ञेय नहीं चलाना चाहते है
अतः शार्पिंगों का T-2. शाप पत्र 09 R-5 में
खातिर किया गया। इस खबर सम्बन्धित को
रुबनाथ तहसीर जारी हो। पत्रावली केवल
सम्बन्धित होकर ही जारी से कम हो। अज्ञेय
रुबनाथ तहसीर में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जाँगर लोक